दिनांक 12.09.2017 को आयोजित मण्डलीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 12.09.2017 को मण्डलीय समीक्षा बैठक मण्डलायुक्त सभागार–गोण्डा के सभागार में पूर्वाह्न 10.30 बजे से प्रारम्भ हुई। बैठक में जिलाधिकारी–बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती तथा सभी मुख्य विकास अधिकारी व अन्य सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे। उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है:–

सर्वप्रथम मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की बैठक दिनांक 19.09.2017 से सम्बन्धित प्रगति सूचना समय से संयुक्त विकास आयुक्त को प्रेषित करने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि सभी प्रारूप जनपद स्तर पर भेज दिये गये हैं, इसके अतिरिक्त ऑनलाइन फीडिंग के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई कि प्रगति सूचनाओं को निर्धारित समय में फीड कराया जाय। सभी मण्डलीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्राप्त कर प्रेषित किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जा कि जनपद एवं मण्डल स्तर पर प्रेषित की जाने वाली सूचनाओं में कोई अन्तर न हो।

सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना को लागू करने के लिये सभी औपचारिकताएं पूर्ण करा ली जायं तथा इसके लिये जिला अस्पताल में अलग से कक्ष निर्धारित किया जाय।

सभी जिलाधिकारी/विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ कैशलेस स्कीम का लाभ सभी अधिकारी/कर्मचारियों को उपलब्ध कराये जाने हेतु हेल्थ कार्ड तत्काल बनवाया जाय।

तत्पश्चात् बैठक में एजेण्डावार समीक्षा की गयी तथा प्रपत्रवार दिये गये निर्देश निम्नवत है:–

प्रपत्र सं0–14 भू–माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही:– समीक्षा के दौरान माह अगस्त, 2017 की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई, जिस पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि अतिक्रमित भूमि पर अवैध कब्जे को हटवाने की प्रगति बढाई जाय। इसके लिये सम्पूर्ण समाधान दिवस तथा अन्य श्रोतों से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु तहसील स्तर पर गठित

टास्कफोर्स को और सक्रिय बनाया जाय। ग्राम–रामापुर, थाना–कौड़िया, तहसील–करनैलगंज (गोण्डा) के अवैध कब्जे सम्बन्धी प्रकरण का अभी तक समाधान न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा तत्काल अवैध कब्जा समाप्त कराने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही जिलाधिकारी–गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती।)

<u>प्रपत्र सं0–15 राजस्व वादों का निस्तारणः–</u> समीक्षा में जनपद–बहराइच एवं श्रावस्ती की प्रगति अन्य जनपदों की तुलना में कम पाई गई, जिसे बढाये जाने के निर्देश दिये गये। सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई कि जो राजस्व वाद चकबंदी प्रकिया के अधीन हैं, उनके निस्तारण को वरीयता दी जाय तथा वादों से सम्बन्धित पीठासीन अधिकारियों की कमी के सम्बन्ध में शासन से पत्राचार करते हुए तैनाती करायी जाय।

(कार्यवाही जिलाधिकारी–गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती।)

<u>प्रपत्र सं0–16 लोकवाणी/जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से जारी होने वाले राजस्व विभाग के सेवाओं की स्थितिः–</u> समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देवीपाटन मण्डल प्रदेश के सबसे खराब 03 मण्डलों में सम्मिलित है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस कार्यक्रम की नियमित समीक्षा की जाय तथा प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय। जनपद–गोण्डा में समय के अन्तर्गत अपेक्षित प्रमाण पत्रों को शतप्रतिशत निर्गत करने पर सराहना की गई। निर्धारित प्रमाण पत्रों के निर्गमन हेतु सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यों को दिनों एवं घण्टों में लक्षित करते हुए प्रगति की समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही जिलाधिकारी–गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती।)

<u>प्रपत्र सं0–17 आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपायः–</u> समीक्षा के दौरान अग्निकाण्ड से प्रभावित सबसे अधिक अवशेष प्रकरण जनपद–गोण्डा में पाया गया, जिस पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अवशेष राहत वितरण में तहसीलवार समीक्षा करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त किये जायं तथा दिनांक 15.09.2017 तक शतप्रतिशत राहत वितरण सुनिश्चित कराया जाय। जनपद–बलरामपुर में कृषि निवेश–फसल अनुदान के अन्तर्गत बाढ 2016 में धनराशि की उपलब्धता के उपरान्त भी 8896 व्यक्तियों/परिवारों को राहत वितरण नहीं किये जाने पर तहसीलदारों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही जिलाधिकारी–गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती।)

प्रपत्र सं0–18 सम्पूर्ण समाधान दिवसः– समीक्षा के दौरान पाया गया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस के अन्तर्गत निस्तारण की प्रगति विगत माह से कम हुई है, जो उचित नहीं है। जनपद–गोण्डा एवं श्रावस्ती की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गई, जिसमें सुधार लाये जाने की आवश्यकता है। जनपद–गोण्डा में 03 माह से अधिक लम्बित प्रकरणों की संख्या 82 है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी–गोण्डा से अपेक्षा की गई कि लम्बित प्रकरणों की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय तथा शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापरक ढंग से कराया जाय, जिससे शासन स्तर से मेगा कॉल सेन्टरों के माध्यम से सत्यापन किये जाने की स्थिति में जनपद/मण्डल की स्थिति खराब न होने पाये।

(कार्यवाही जिलाधिकारी–गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती।)

प्रपत्र सं0–19 चकबंदी वादों का निस्तारणः– समीक्षा में चकबंदी वाद के अन्तर्गत अवशेष वादों की संख्या अधिक पाये जाने पर सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वादों की गहन समीक्षा करते हुए प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय।

(कार्यवाही जिलाधिकारी–गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती।)

प्रपत्र सं0–20 आई0जी0आर0एस0:– इस कार्यक्रम की समीक्षा में पाया गया कि जनपदों में बाढ के कारण आई0जी0आर0एस0 पोर्टलों पर अवशेष प्रकरण में वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन इसकी समीक्षा करें तथा पुराने लम्बित मामलों का दो दिन में निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही जिलाधिकारी–गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती।)

प्रपत्र सं0–22 दवाओं की उपलब्धताः– समीक्षा के दौरान सभी जिलाधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को निर्देशित किया गया कि मण्डल के अन्तर्गत सभी जनपदों के पुरूष/महिला अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए दवा की उपलब्धता सम्बन्धी विवरण नोटिस बोर्ड पर लगाया जाय। इसके अतिरिक्त राजकीय चिकित्सालयों में बिना चिकित्सालय की पर्ची के सादे कागज पर प्राईवेट रूप में दवा लिखे जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में इम्फोर्समेंट की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मु0चि0अधि0/अपर निदे0, चिकि0,स्वा0 एवं परि0क0)

प्रपत्र सं0–23 एम्बुलेंस सेवाओं की स्थितिः– समीक्षा के दौरान सभी जिलाधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को निर्देशित किया गया कि इमरजेंसी

मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेस के अन्तर्गत प्राप्त कालों के उपरान्त एम्बुलेंस सेवा में लगने वाले समय को और कम किया जाय तथा इमरजेंसी की स्थिति में जनपदीय सीमा को बाधा न मानते हुए जिस भी जनपद का जिला मुख्यालय नजदीक हो, उसके माध्यम से त्वरित सेवा प्रदान की जाय। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निर्देश जारी करें।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मु0चि0अधि0/अपर निदे0, चिकि0,स्वा0 एवं परि0क0)

प्रपत्र सं0–24बी बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजनाः– इस कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान पाया गया कि गतमाह की प्रगति से इस माह की प्रगति कम है। जनपद–बहराइच की प्रगति सबसे कम पायी गयी। इस सम्बन्ध में असंतोष व्यक्त करते हुए सभी जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में डी0एच0एस0 की नियमित बैठक करायी जाय तथा गहन समीक्षा करते हुए प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मु0चि0अधि0/अपर निदे0, चिकि0,स्वा0 एवं परि0क0)

प्रपत्र सं0–26 टीकाकरणः– समीक्षा के दौरान कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में निर्देशित किया गया कि डी0एच0एस0 के माध्यम से इसका गहन अनुश्रवण करते हुए टीकाकरण की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मु0चि0अधि0/अपर निदे0, चिकि0,स्वा0 एवं परि0क0)

प्रपत्र सं0–27 वेक्टर जनित रोगः– समीक्षा के दौरान सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि इस कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रकरणों को स्वयं देखें तथा वेक्टर जनित रोग की जानकारी कहीं से प्राप्त होती है तो वहाँ शिविर कर सभी आवश्यक निरूद्धात्मक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मु0चि0अधि0/अपर निदे0, चिकि0,स्वा0 एवं परि0क0)

प्रपत्र सं0–28 अधूरे निर्माण कार्यों की प्रगति (स्वास्थ्य विभाग):– समीक्षा के दौरान सभी जिलाधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को निर्देशित किया गया कि जिन कार्यों पर धनराशि प्राप्त हो गई है, उन परियोजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति में तेजी लायी जाय तथा सरकारी भवनों के निर्माण में यह सुनिश्चित किया जाय कि सर्वप्रथम मुख्य भवन बनवाया जाय, जिससे आम जन को उसका शीघ्र लाभ मिलना प्रारम्भ हो सके, तत्पश्चात् अन्य निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्य में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। स्वास्थ्य विभाग में मण्डल स्तर पर कार्यरत अवर अभियन्ता (तकनीकी) का जनपदवार भ्रमण निर्धारित किया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मु0चि0अधि0/अपर निदे0, चिकि0,स्वा0 एवं परि0क0)

<u>प्रपत्र सं0–29 राज्य/14वां वित्त आयोगः–</u> मण्डलीय समीक्षा में पाया गया कि बाढ के कारण प्रगति प्रभावित हुई है। सभी जिलाधिकारी/विभागीय अधिकारियों को निर्दिष्ट किया गया कि बाढ के कारण विभागीय परिसम्पत्तियों की जो भी क्षति हुई है, उसका आंकलन कर संकलित सूचना दिनांक 25.09.2017 तक शासन को प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/उपनिदेशक, पंचायत)

<u>प्रपत्र सं0–31 पेंशन योजनाएंः–</u> समीक्षा में पाया गया कि वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत जनपद–गोण्डा/श्रावस्ती के अन्तर्गत वर्तमान में कुल लाभार्थियों की संख्या से अधिक धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त कर दी गई है, जो त्रुटिपूर्ण स्थिति है, इसकी सूची बनायी जाय तथा प्रदत्त धनराशि की वसूली कराते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि इन्हें द्वितीय किश्त पुनः प्राप्त न हो। यह भी निर्देश दिये गये कि पेंशनधारकों के बैंक खातों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही खोला जाय। सहकारी बैंकों में खुले खातों को स्थानान्तरित करा लिया जाय तथा सभी पेंशनधारकों का आधारकार्ड बनवाया जाय, जो अवशेष रह गये हैं, उनके भी कार्ड शीघ्रातिशीघ्र बना लिये जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मु0वि0अधि0/उपनिदेशक, समाज कल्याण)

<u>प्रपत्र सं0–32 महिला हेल्पलाइन योजनाः–</u> समीक्षा के दौरान सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई कि प्राप्त कालों का नियमित रूप से शतप्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित किया जाय। जनपद–बहराइच की प्रगति कम पाये जाने की स्थिति में निर्दिष्ट किया गया कि यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई काल अवशेष न रहने पाये। इसकी नियमित समीक्षा की जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी)

<u>प्रपत्र सं0–33 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनाः–</u> समीक्षा के दौरान सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करते हुए डिले पेमेंट की संख्या कम की जाय तथा योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों की शतप्रतिशत जीइओ टेगिंग की जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी)

<u>प्रपत्र सं0–34 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाः–</u> इस कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जनपद–बहराइच एवं श्रावस्ती की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी। सभी जिलाधिकारी/मुख्य

विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करते हुए प्रगति में अपेक्षित सुधार लाया जाय। निर्माण कार्य में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/ मु0वि0अधि0/अधी0अभि0, लो0नि0वि0/ग्रा0अभि0वि0)

<u>प्रपत्र सं0–35ए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशनः–</u> निर्माणाधीन ग्रामीण पाइप्ड पेयजल योजना के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता कम होने के कारण परियोजनाएं समय से पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। यह भी अवगत कराया गया कि विद्युत विभाग द्वारा यदि 24 परियोजनाओं पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाता है तो इन पेयजल योजनाओं से ग्रामवासियों को सीधे आपूर्ति दी जा सकती है। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं पर धनराशि प्राप्त हो गई है, उन पर तत्काल विद्युत कनेक्शन दिलाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी/अधी0अभि0, जल निगम/विद्युत)

<u>प्रपत्र सं0–35बी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशनः–</u> पूर्व निर्मित ग्रामीण पाइप्ड पेयजल योजना की समीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित परियोजनाओं के अन्तर्गत 07 परियोजनाएं आंशिक क्षमता पर ही चल रही हैं। सभी जिलाधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित पाइप्ड पेयजल योजनाओं के संचालन में आ रही कठिनाईयों से अवगत कराया गया कि इनके संचालन की स्थिति ठीक नहीं है, ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी भूमिका का समुचित ढंग से निर्वहन नहीं किया जा रहा है। यह भी अवगत कराया गया कि जल निगम विभाग द्वारा पाइप लाइन बिछाये जाने के समय ग्राम पंचायतों में लगे सी0सी0 रोड एवं खड़न्जा मार्ग को तोड़कर पाइप डाल दी जाती है, किन्तु उनके मरम्मत का कार्य नहीं कराया जाता है। इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं में इसकी व्यवस्था है, तत्काल मरम्मत का कार्य सुनिश्चित कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/ अधी0अभि0, जल निगम)

<u>प्रपत्र सं0–35सी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशनः–</u> हैण्डपम्पों के रिबोर के प्रगति की समीक्षा में जनपद–गोण्डा की सूचना त्रुटिपूर्ण पायी गयी, जिसे ठीक कराये जाने के निर्देश दिये गये। रिबोर योग्य हैण्डपम्पों के चिह्नांकन के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विकास खण्डों के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) एवं अवर

अभियन्ता, जल निगम की संयुक्त टीम से ऐसे हैण्डपम्पों को चिह्नित किया जाय। सभी अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम के पास रिबोर योग्य हैण्डपम्पों की जो सूची उपलब्ध है, उसे सत्यापन के लिये विकास खण्ड को उपलब्ध करा दिया जाय, सत्यापन में यह बिन्दु भी उल्लिखित किया जाय कि हैण्डपम्प की स्थापना कब हुई है, 03 वर्ष के अन्दर की है अथवा 03 वर्ष से पूर्व की। यदि 03 वर्ष के अन्दर की है तो उसे जल निगम विभाग द्वारा ठीक कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधी0अभि0, जल निगम)

<u>प्रपत्र सं0–37 नई सड़कों का निर्माणः–</u> समीक्षोपरान्त पाया गया कि लक्षित सड़कों की संख्या में उन मार्गों को निकाल दिया गया है, जो विगत माह तक पूर्ण हो गये हैं, यह त्रुटिपूर्ण स्थिति है, निर्देशित किया गया कि तत्काल उनकी प्रगति को सम्मिलित किया जाय तथा कार्य की प्रगति बढाई जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधी0अभि0, लो0नि0वि0)

<u>प्रपत्र सं0–38 ओ0डी0आर0/एम0डी0आर0/राज्य मार्गों के अनुरक्षण की स्थितिः–</u>समीक्षा के दौरान पाया गया कि इस कार्यक्रम में जनपद–गोण्डा एवं बहराइच की प्रगति संतोषजनक नहीं है। अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 को निर्देशित किया गया कि अवशेष कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जाय तथा बरसात के कारण सड़कों में जो नये गड्ढे बन गये हैं, उनको भी गड्ढामुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधी0अभि0, लो0नि0वि0)

<u>प्रपत्र सं0–40 सड़कों को गड्ढामुक्त किया जानाः–</u>समीक्षा के दौरान गन्ना विभाग की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई तथा शहरी क्षेत्रों में जनपद–गोण्डा/बहराइच की स्थिति ठीक नहीं हैं। अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 गोण्डा वृत्त, गोण्डा को निर्देशित किया गया कि जनपद–बलरामपुर में कस्बे के अन्दर की लोक निर्माण विभाग की सड़क को तत्काल मरम्मत कराकर ठीक कराया जाय। सड़कों को गड्ढामुक्त करने के सम्बन्ध में जिन विभागों के पास अभी धनराशि उपलब्ध नहीं है, उसकी मांग शासन/मुख्यालय से करते हुए पूर्ण कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधी0अभि0, लो0नि0वि0)

<u>प्रपत्र सं0–41 नगरीय स्ट्रीट लाईटः–</u>समीक्षा के दौरान सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शासकीय कार्यालयों में एल0ई0डी0 बल्ब लगाया जाय, जिससे विद्युत खपत कम हो सके। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत द्वारा बताया गया कि रियायती दरों पर विभाग में एल0ई0डी0 बल्ब उपलब्ध है, जिसे क्रय किया जा सकता है।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधी0अभि0, विद्युत)

प्रपत्र सं0–42 अमृत एवं स्मार्ट सिटी योजनाः–समीक्षा के दौरान जनपद–गोण्डा के अन्तर्गत जलापूर्ति मद में सूचना त्रुटिपूर्ण पाई गई, जिसे ठीक कराये जाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी–गोण्डा एवं बहराइच से अपेक्षा की गई कि कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करते हुए प्रगति में सुधार लाया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधी0अभि0, जल निगम)

प्रपत्र सं0–43 अपशिष्ट प्रबन्धनः–इस कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गई कि शहरी क्षेत्रों में कूड़ा प्रबन्धन के लिये प्रोसेसिंग युनिट लगाये जाने की कार्यवाही की जाय। जनपदों द्वारा शहरी क्षेत्रों में शतप्रतिशत डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन में वार्डों की जो प्रगति दर्शायी गई है, वह वास्तविक प्रतीत नहीं होती है, यह सुनिश्चित किया जाय कि शहरी क्षेत्र के 2/3 वार्डों में डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाय।

(कार्यवाही जिलाधिकारी–गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती)

प्रपत्र सं0–46 छात्रों का नामांकनः– समीक्षा के दौरान जनपद–बलरामपुर में निरीक्षण की प्रगति कम पाये जाने की स्थिति में जिलाधिकारी–बलरामपुर से अपेक्षा की गई कि इसकी समीक्षा कर प्रगति में सुधार लाया जाय। यह भी निर्दिष्ट किया गया कि जिन विद्यालयों में छात्रों का नामांकन अधिक हुआ है, उनके अध्यापकों को सम्मानित किया जाय तथा जिनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है, उन्हें चिह्नित करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि की जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मु0वि0अधि0/सहा0शिक्षा निदे0,बेसिक)

प्रपत्र सं0–47 गन्ना भुगतानः– समीक्षा के दौरान पाया गया कि कई चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्यों का शतप्रतिशत भुगतान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारी/उप गन्ना आयुक्त को निर्दिष्ट किया गया कि चीनी मिलों से समन्वय स्थापित कर गन्ना किसानों के बकाया धनराशि का यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। जिलाधिकारी–श्रावस्ती द्वारा अवगत कराया गया कि उनके जनपद से सम्बन्धित कृषकों के गन्ना का बकाया मूल्य किन–किन चीनी मिलों से सम्बन्धित है, की जानकारी नहीं हो पाती है। उप गन्ना आयुक्त द्वारा बताया गया कि जनपद–श्रावस्ती के कृषकों का गन्ना मूल्य जनपद–बहराइच एवं बलरामपुर के चीनी मिलों में लम्बित है, चीनी मिलों द्वारा जनपदवार विवरण संकलित नहीं होने के कारण यह डाटा प्रोसेसिंग से स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि जनपद–श्रावस्ती के कृषकों के अवशेष गन्ना मूल्य का विवरण अविलम्ब जिलाधिकारी–श्रावस्ती को उपलब्ध कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी / उप गन्ना आयुक्त)

<u>प्रपत्र सं0–48 विद्युत आपूर्ति:–</u> समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी–श्रावस्ती द्वारा विद्युत आपूर्ति एवं ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापन में लगने वाले समय पर असंतोष व्यक्त किया गया। यह भी अवगत कराया गया कि काफी अनियमित रोस्टिंग हो रहीं है, जिसकी पुष्टि अन्य जिलाधिकारी द्वारा भी की गई। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत को निर्देशित किया गया कि विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी सूचना सही ढंग से दी जाय, जिससे वस्तुस्थिति का सहीं आकलन हो सके और शासन के संज्ञान में सही सूचना दी जा सके, इसके लिये फीडरवाइज सूचना प्राप्त कर प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी / मु0वि0अधि0 / अधी0अभि0, विद्युत)

<u>प्रपत्र सं0–49 ग्रामों का ऊर्जीकरण:–</u> समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी–गोण्डा द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों के सर्वे, चिह्नांकन व ऊर्जीकरण की प्रक्रिया पर असंतोष व्यक्त करते हुए अपेक्षा की गई कि चूंकि 11वीं योजना 12वीं योजना के बाद लागू की जा रही है। अतएव जो मजरे 12वीं योजना से छूटे हुए हैं, उन्हें नवीन योजना में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय, मात्र इस आधार पर ऊर्जीकरण से वंचित न किया जाये कि ये ग्राम 12वीं योजना में सम्मिलत है। जिलाधिकारी–बहराइच / बलरामपुर द्वारा अपेक्षा की गई कि किन्हीं कारणों से जो ग्राम कट गये हैं, उन्हें ऊर्जीकरण में सम्मिलित कर लिया जाय। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत को निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी करें। यह भी निर्देश दिये गये कि विद्युतीकृत एवं ऊर्जीकृत मजरों की सूची मा0 जनप्रतिनिधियों / सभी जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाय, जो मजरे किन्हीं कारणवश पात्रता के बावजूद वंचित रह गये हैं, उन्हें सम्मिलित कर लिया जाय, कराये गये कार्यों का 3rd पार्टी सत्यापन कराते हुए इसकी क्रास चेकिंग भी करायी जाय। क्रियाशील इकाईयों की संख्या क्रियाकलापवार बढाई जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि जितने ग्राम विद्युतीकृत हो, उतने ग्रामों का ऊर्जीकरण भी कराया जाय, अधिक अन्तर न होने पाये।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी / मु0वि0अधि0 / अधी0अभि0, विद्युत)

<u>प्रपत्र सं0–50 ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन:–</u> समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत को निर्देशित किया गया कि ट्रांसफार्मरों के प्रतिस्थापन की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट न दी जाय, वास्तविक रिपोर्ट दी जाय, जिससे वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सके।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी / मु0वि0अधि0 / अधी0अभि0, विद्युत)

<u>प्रपत्र सं0–53ए खाद की उपलब्धता एवं वितरण:–</u> समीक्षा के दौरान सभी जिलाधिकारियों द्वारा यूरिया खाद की कमी से अवगत कराया गया। संयुक्त निदेशक, कृषि द्वारा बताया गया

कि दो दिन में रैक उपलब्ध हो रही है, जिसके उपरान्त सभी जनपदों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध हो जायेगी।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मु0वि0अधि0/संयुक्त निदेशक, कृषि)

प्रपत्र सं0 54 ऋण माफी योजनाः– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समीक्षा के दौरान चरणबद्ध की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा की गयी तथा निर्देश दिया गया कि द्वितीय चक्र एवं तृतीय चक्र में अपेक्षित कार्यवाही संशोधित समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित करते हुए अधिकाधिक कृषकों को लाभान्वित कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मु0वि0अधि0/संयुक्त निदेशक, कृषि)

प्रपत्र सं0 55ए प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण):– समीक्षा के अन्तर्गत पाया गया कि वर्ष 2016–17 के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शतप्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त का आवंटन नहीं किया गया है एवं वर्ष 2017–18 की प्रगति भी संतोषजनक नहीं है। सभी लाभार्थियों को नियमानुसार प्रथम किश्त की धनराशि शीघ्रातिशीघ्र अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये। संयुक्त विकास आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 के शतप्रतिशत लाभार्थियों को दिनांक 15.09.2017 तक प्रथम किश्त अवमुक्त किया जाना है।

इस सम्बन्ध में सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्दिष्ट किया गया कि इस योजनान्तर्गत आवास आवंटन में धन उगाही की जो शिकायतें संज्ञान में आ रही हैं एवं जांच के फलस्वरूप सहीं पाई गई है, उसमें अनिवार्य रूप से एफ0आई0आर0 दर्ज कराया जाय, जो एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जा चुके हैं, उसकी जनपद स्तर पर नियमित रूप से प्रथम सूचना रिपोर्टवार समीक्षा हेतु विवेचना में चार्जशीट कराई जाय तथा प्रकरण की सघन पैरवी की जाय। साथ ही साथ उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी तत्काल सुनिश्चित की जाय तथा जिन मामलों में आरोप पत्र तैयार करके शासन को भेजा जाना है, आरोप पत्र तैयार कर प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी)

प्रपत्र सं0 56ए आई0सी0डी0एस0 (आंगनबाड़ी भवन निर्माण):– समीक्षा के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की प्रगति संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो धनराशि ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराई जानी है, उसे प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाय तथा सभी निर्माणाधीन

आंगनबाड़ी केन्द्रों की वर्क आई0डी0 तैयार कर मनरेगा अंश से दी जाने वाली धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी)

प्रपत्र सं0 56डी आई0सी0डी0एस0 (कुपोषण मुक्त गांव):– समीक्षा में सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि चयनित ग्रामों को कुपोषण मुक्त कराने तथा मुख्य सचिव महोदय के आदेशानुसार दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 से 15 अक्टूबर, 2017 से चलाये जाने वाले ग्राम समृद्वि एवं स्वच्छता पखवाड़ा के लिये आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर ली जायं।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी)

प्रपत्र सं0 57 ई–टेण्डरिंग:– समीक्षा के दौरान अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 को निर्देशित किया गया कि सभी विभाग अपने टेण्डर युनिट के अनुसार टेण्डर टीम के सभी सदस्यों का प्रशिक्षण कराते हुए डिजिटल सिग्नेचर जारी करा लें, जिससे ई–टेण्डरिंग में कोई व्यवधान न हो।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0)

प्रपत्र सं0 58 रू0 50 लाख से अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा:– इस कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जनपद–गोण्डा की प्रगति कम पायी गई। समीक्षा कर प्रगति बढाये जाने के निर्देश दिये गये। समीक्षोपरान्त सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस योजना के अन्तर्गत कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय एवं राजकीय विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य को वरीयता के साथ पूर्ण कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0)

प्रपत्र सं0 60ए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण):– इस कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। इस सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि इस कार्यक्रम की जनजागरूकता बढाई जाय और जिन ग्रामों को ओ0डी0एफ0 कराया गया है तथा जांच में कमियां पायी गई हैं, उन कमियों का निराकरण करते हुए ओ0डी0एफ0 ग्राम घोषित कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उप निदेशक, पंचायत)

अन्य:– पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतों में रिक्त उचित दर दुकान के सापेक्ष नई दुकानों का प्रस्ताव कराकर चयन की

कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। जनपद–गोण्डा में ऐसी 69 दुकानें रिक्त हैं, जिन्हें अविलम्ब चयन कराया जाय। नई उचित दर दुकानों के चयन/नियुक्ति के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के साथ गहन समीक्षा किया जाय तथा इस योजनान्तर्गत आधार फीडिंग का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाय।

(कार्यवाही समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उपायुक्त, खाद्य)

बैठक के अन्त में उपस्थित समस्त अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा सभी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारियों व मण्डलीय अधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि मण्डलीय समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध करायें।

21/09/17

(एस0वी0एस0रंगाराव)
आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल,
गोण्डा।

कार्यालय आयुक्त, देवीपाटन मण्डल–गोण्डा।

पत्रांक 381 /बैठक कार्यवृत्त/2017–18 दिनांक 21, सितम्बर, 2017

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव,कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,उ0प्र0 शासन,लखनऊ।
2. जिलाधिकारी–गोण्डा,बलरामपुर,बहराइच,श्रावस्ती।
3. मुख्य विकास अधिकारी–गोण्डा,बलरामपुर,बहराइच,श्रावस्ती।
4. सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारी,देवीपाटन मण्डल।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,एन0आई0सी0,गोण्डा।

संयुक्त विकास आयुक्त,
देवीपाटन मण्डल,
गोण्डा।